राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 402/2023
एवं
अपील संख्या :– 5767/2022

राजेश कुमार रस्तोगी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर जोन, जयपुर।
4. निरमा, वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुण्डोता, जालसू, जयपुर पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023
आदेश की दिनांक : 28.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुण्डोता, तहसील जालसू, जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुण्डोता, तहसील जालसू, जिला जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तला, जमवारामगढ़, जिला जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Birkari, राजगढ़, अलवर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.10.2022 के द्वारा तला,

जमवारामगढ़, जयपुर किया गया था, जिसको अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुए अपील संख्या 5767/2022 राजेश कुमार रस्तोगी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य प्रस्तुत की। अधिकरण ने दिनांक 29.11.2022 को उक्त आदेश को स्थगित करते हुए आदेश पारित किया। अपीलार्थी की अपील लम्बित होते हुए भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश के द्वारा पुनः कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.10.2022 के द्वारा तला, जमवारामगढ़, जिला जयपुर किया गया है। तत्समय अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 निरमा को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया था, जो राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत था, जिसके क्रम में अधिकरण द्वारा दिनांक 29.11.2022 को स्थगन आदेश पारित किया गया, जो अधिकरण में उक्त अपील आज भी लम्बित है और उक्त अपील लम्बित होते हुए भी अपीलार्थी का पुनः आलोच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण कर दिया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने उक्त अपील संख्या 402/2023 का लिखित जवाब प्रस्तुत ना करते हुए अपीलार्थी की पूर्व अपील संख्या 5767/2022 का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह बहस की है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिले के अंदर ही किया गया है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधि विरूद्धता नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से विद्वान् अधिवक्ता ने अपील संख्या 5767/2022 का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्ष 2013 से एक ही स्थान पर कार्यरत है और 9 वर्ष बाद उसका स्थानान्तरण किया गया है, जो नियमानुसार है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है, जिसमें कोई नियम विरूद्धता नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुण्डोता, तहसील जालसू, जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुण्डोता, तहसील जालसू, जिला जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तला, जमवारामगढ़, जिला जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Birkari, राजगढ़, अलवर किया गया है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष पूर्व में अपील संख्या 5767/2022 आदेश दिनांक 28.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, जिसके क्रम में अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 29.11.2022 को पारित किया गया था, जिसका जवाब प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से प्रस्तुत किया गया। हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी 9 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for*

administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की दोनों अपीलें बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से खारिज की जाती हैं। अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की अपील संख्या 5767/2022 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 29.11.2022 का प्रावकाश (vacate) किया जाता है। उक्त दोनों अपीलें एक साथ टैग (Tag) करते हुए एक ही निर्णय के साथ अंतिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य